# चित्रकूट-पुलिस

**(1).** नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला सशक्तिकरण, महिला कल्याण एवं बाल विकास के प्रति चलाये जा रहे "मिशन शक्ति अभियान-4" के तत्वाधान में जनपद के समस्त थानों की एण्टी रोमियों टीमों/''शक्ति दीदी'' द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थल एवं ग्रामों में भ्रमण कर महिला एवं बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी उपायों के प्रति जागरुक किया गया।

"मिशन शक्ति अभियान-4" व ''शक्ति दीदी'' अभियान के तहत आज दिनांक 31.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरूण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद में नोडल अधिकारी मिशन शक्ति क्षेत्राधिकारी राजापुर श्रीमती निष्ठा उपाध्याय के पर्यवेक्षण में समस्त थाना क्षेत्रो में एण्टी रोमियों टीमों द्वारा विभिन्न सार्वजनिक स्थलों एवं ग्रामो में भ्रमण किया गया । महिलाओं/बालिकाओँ को "मिशन शक्ति" व ''शक्ति दीदी'' के सार्वजनिक स्थलो जैसे-चौराहे, बाजारों को असामाजिक तत्वों से मुक्त कराये जाने तथा महिलाओ एवं बालिकाओं के साथ राह चलते छेडखानी, अभद्रता, अश्लील प्रदर्शन तथा अभद्र टिप्पणियाँ इत्यादि की घटनाओं को रोकने के लिये जागरुक किया गया तथा महिला/बालिकाओं को सुरक्षा संबंधित सेवाएँ जैसे यू0पी0-112 नम्बर/वूमेन पावर लाइन 1090/यूपी कॉप एप/181 महिला हेल्प लाइन/1076 मुख्यमंत्री हेल्प लाइन/1098 चाइल्ड हेल्प लाइन/102 स्वास्थ्य सेवा/108 एम्बूलेन्स सेवा/1930 साइबर हेल्पलाइन के बारे में जानकारियां दी गई । इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हैल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है । इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओ को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया । इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों यथा- स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चैकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदो/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की।

**(2).** आज दिनाँक 31.05.2025 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह निर्देशन में शान्ति एवं सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु चित्रकूट पुलिस के थाना/चौकी प्रभारियों द्वारा थाना/चौकी क्षेत्र के मिश्रित आबादी क्षेत्र एवं भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर पैदल गस्त किया गया पुलिस टीमों द्वारा दुकानदारों, व्यापारीबंधुओँ एवं क्षेत्रीय नागरिको से वार्ता कर सुरक्षा का भरोसा दिलाया। पैदल गस्त के दौरान पुलिस टीम द्वारा सड़क पर हो रहे अतिक्रमण, शराब की दुकान, रेलवे स्टेशनों,होटल/ढाबो, 02/04 पहिया वाहन एवं संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी।

**(3).** श्रीमान पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मऊ दुर्गविजय सिंह एवं पैरोकार आरक्षी धनेश मिश्रा व मॉनिटरिंग सेल टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम चित्रकूट श्री अनुराग कुरील द्वारा आज दिनाँक 31.05.2025 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना मऊ में पंजीकृत मु0अ0सं0 158/2016 धारा 147,148,149,304(1),504,506 भादवि0 के आरोपी अभियुक्त 1.चुल्ला पुत्र 2. बऊरा उर्फ द्वारिका 3.विफई पुत्रगण केशरी 4.फूलचन्द्र पुत्र होरिल निषाद 5.भगौती उर्फ व्यापारी पुत्र बचून चमार निवासीगण कनभय मजरा पदरवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 07-07 वर्ष का सश्रम कारावास व 05-05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

**<u>संक्षिप्त विवरण-</u>**

उल्लेखनीय है कि दिनांक 02.08.2016 को वादी श्री बच्चालाल पुत्र गुलाब निषाद निवासी कनभय मजरा पदरवां थाना मऊ जनपद चित्रकूट द्वारा थाना मऊ पर सूचना दी कि अभियुक्तगणों द्वारा एक राय होकर वादी की पत्नी मायादेवी को कुल्हाड़ी से वार करके मार डालना । इस सूचना पर थाना मऊ में मु0अ0सं0 158/2016 धारा 147,148,149,302,504,506 भादवि0 बनाम उपरोक्त अभियुक्तगण पंजीकृत किया गया। विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री केशव वर्मा द्वारा सम्पादित की गयी। उपरोक्त विवेचक द्वारा आरोपियों को दिनांक 04.08.2016 को गिरफ्तार करते हुए आरोपियों के विरुद्ध दिनाँक 22.10.2016 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया।

**(4).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अवैध शराब के निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 03 अभियुक्तों को कुल 79 क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया।

(1). उ0नि0 श्री यदुवीर सिंह चौकी प्रभारी गनीवां मय हमराह मुख्य आरक्षी वीरेन्द्र कुमार व रामकेश द्वारा अभियुक्त राजाराम प्रजापति पुत्र पिताम्बर निवासी ग्राम अर्जुनपुर थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को एक झोले में 20 अदद क्वार्टर देशी शराब नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(2). उ0नि0 श्री कृपानन्दन शर्मा थाना मानिकपुर व उ0नि0 श्री शम्भूशरण द्वारा अभियुक्त इमाम हसन उर्फ लल्लू पुत्र अब्बास अली निवासी शिवनगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को एक झोले में 29 अदद पाउच देशी शराब ठेका मस्तीहू ब्राण्ड नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना मानिकपुर में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

(3). उ0नि0 श्री कन्हैया बक्श सिंह थाना राजापुर मय हमराह आरक्षी शाकिर अली द्वारा अभियुक्त संदीप सोनकर पुत्र महेश सोनकर निवासी कालीमाता क्वेटरहा कस्वा व थाना राजापुर के कब्जे से एक झोले में 30 अदद पाउच देशी शराब ठेका नाजायज बरामद होना । अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**(5).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष राजापुर श्री प्रवीण सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार तथा हमराहीगण द्वारा अभियुक्त 1. गोलू पुत्र सम्पत सिंह सोनकर निवासी काशीनगर थाने के पीछे कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 2. सुधीर पुत्र भूरा सोनकर निवासी काशीनगर थाने के पीछे कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 3. ननकू पुत्र संतोष सोनकर निवासी काशीनगर थाने के पीछे कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 4. अशोक पुत्र रामबहोरी निवासी गयागंज कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट 5. मिलन पुत्र राजाराम निवासी काशीनगर थाने के पीछे कस्बा व थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को ताश के पत्तों में हारजीत की बाजी लगाकर जुआ खेलते हुये गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों के कब्जे से मालफड़ से मालफड 900 रु0 व 52 अदद ताश के पत्ते तथा जामा तलाशी से कुल 600/- रुपये बरामद किये गये। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना राजापुर में धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगीः-**

मालफड़ से 900/- रुपये

52 अदद ताश के पत्ते

जामा तलाशी से 600/- रुपये

**गिरफ्तार करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री सुरेन्द्र कुमार थाना राजापुर

2.आरक्षी शुभम मिश्रा

3.आरक्षी लवकुश यादव

4.आरक्षी अरुण यादव

5.आरक्षी मनीष यादव

**(6).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में सामाजिक रिश्तों को बचाने हेतु किये जा रहे प्रयासों के क्रम में पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केन्द्र पुलिस टीम द्वारा आपसी परिवारिक झगड़े को समाप्त कराकर परिवार में सुलह कराते हुए परिवार को टूटने से बचाया।

आवेदिका श्रीमती कामती देवी पत्नी राजेन्द्र प्रसाद निवासी लोखरी थाना रैपुरा जनपद चित्रकूट ने पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के समक्ष प्रार्थना पत्र दिया कि आवेदिका की पुत्री कुसुम उर्फ राखी को उसके पति सदानन्द मिश्रा पुत्र शिवभूषण मिश्रा निवासी चौखड़ी थाना अतरैल जनपद रीवा म0प्र0 व ससुरालीजन द्वारा गाली गलौज,मारपीट करके अतिरिक्त दहेज की मांग करना। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा प्रार्थना-पत्र के निस्तारण हेतु प्रभारी परिवार परामर्श केन्द्र को निर्देशित किया गया। परिवार परामर्श केन्द्र प्रभारी उ0नि0 श्रीमती गीता देवी, महिला आरक्षी मंजूलता पाल,महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव द्वारा शिकायतकर्ता की शिकायतों को विस्तारपूर्वक सुनकर समझकर द्वितीय पक्ष से सम्पर्क करके उन्हें पुलिस कार्यालय स्थित परिवार परामर्श केंद्र बुलाया गया तथा दोनों पक्षों को समझाया गया। दोनों पक्षों द्वारा भविष्य में आपसी पारिवारिक सामजस्य बनाकर रहने तथा कर्तव्यों का सही से पालन करने की बात कही गयी। आपसी सुलह होने पर दम्पत्ति जोड़े को एक दूसरे के साथ-साथ आपस में सामन्जस्य बिठाकर एवं परिवारिक दायित्यों को सही प्रकार से निर्वहन करने हेतु सलाह दी गयी।

**समझौता कराने वाली टीमः-**

1.प्रभारी परिवार परामर्श केंद्र उ0नि0 श्रीमती गीता देवी

2.महिला आरक्षी मंजूलता पाल

3.महिला आरक्षी शिवाग्नी श्रीवास्तव

**(7).** पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में थानाध्यक्ष श्री राम सिंह के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त अर्जुन तिवारी पुत्र नर्मदा प्रसाद तिवारी निवासी गड़ौली थाना सरधुवा जनपद चित्रकूट को 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर नाजायज व 02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना सरधुवा में धारा 03/25 आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया।

**बरामदगीः-**

01 अदद देशी तमंचा 315 बोर

02 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

**गिरफ्तारी करने वाली टीमः-**

1.उ0नि0 श्री चन्द्रमणि पाण्डेय थाना सरधुवा

2.उ0नि0 श्री शिवमणि मिश्रा

3.आरक्षी शक्ति सिंह

4.आरक्षी राहुल पुरी

(**8**).पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में वांछित/वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री नीरज व उनकी टीम द्वारा मु0अ0सं0 56/24 धारा 3/4/25 आर्म्स एक्ट के वारंटी अभियुक्त मो0 हनीफ खान उर्फ राजू खान पुत्र हबीव खान निवासी शिवनगर कस्बा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

उ0नि0 श्री नीरज

आरक्षी लोकेन्द्र कुमार